न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 04 / 21 सन् 2021

GCMS NO-2021/50

बउनवानी:— 1. सियाराम पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी श्यामोता तहसील सवाईमाधोपुर
2. अंगद पुत्र जगना मीना निवासी श्यामोता तहसील सवाईमाधोपुर
3. गंगाबिशन पुत्र गंगाधर मीना निवासी हज्जाम खेडी तहसील सवाईमाधोपुर
4. किशनी पुत्री नेन्या पत्नि प्रताप मीना निवासी रामडी हाल नि0 नयागांव तह0 इन्द्रगढ

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र प्रहलाद मीना निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर
2. भैरूलाल पुत्र प्रहलाद मीना निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर
3. सुखराम दत्तक पुत्र चतरू मीना निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर
4. हनुमान पुत्र रामफूल मीना निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर
5. मुकेश पुत्र रामफूल मीना निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर
6. केसन्ता पुत्री रामफूल मीना निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर
7. तुलसा पत्नि रामफूल मीना निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर
8. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 115 निर्णय दिनांक 6.5.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:—1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट

—: निर्णय :— दिनांक 20.8.2025

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा संख्या 115 दिनांक 6.5.2023 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की जाने पर रेस्पो.संख्या 1 व 3 लगायत 7 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए तथा रेस्पो0 संख्या 2 उपस्थित। अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक गोरधन पुत्र नेहन्या मीना निवासी रामडी के लाऔलाद फोत होते हुए भी मृतक विधिक वारिसानों की जॉच भी नही की गयी एवं समस्त प्रकिया एक पक्षीय रूप से सम्पन की है। मृतक गोरधन अपीलान्ट संख्या 4 का खास सगा भाई होने के कारण मृतक के नाम की चल अचल सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विधिक अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 के सजरा खानदान के अनुसार मृतक नेन्हा के 4 पुत्र व 4 पुत्रिया थी जिनका विवरण इस प्रकार चतरू,गोरधन,प्रहलाद,रामफूल पुत्र नेहन्या एवं किशनी ,बसनी,धापू,रामकूरी 4 सगी पुत्रीया थी जिनमे से बसनी, धापू व रामकूरी की [illegible] अपीलान्ट संख्या 1,2,3 की ओर से भी अपील प्रस्तुत की गयी है। मृतक चतरू भी लाओला[illegible] जाने के कारण रेस्पो0 संख्या 3 भी फर्जी गोद पुत्र बनकर राजस्व रि[illegible] जबकि अपीलान्ट के मृतक भाई चतरू ने अपने जीवनकाल में किसी [illegible] मृतक गोरधन का भी रेस्पो. संख्या एक फर्जी गोदपुत्र बनकर अधीनस्थ [illegible] रिकार्ड में इन्द्राज कर[illegible]। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत के अनुसार समस्त विधिक वा[illegible]नों की जॉच किये बि[illegible]क पक्षीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत है। रेस्पो0 प्रभावशाली व्यक्ति हैं अपीलान्टगणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:37:25 IST
Reason: SelfAttested

(… राम)
जि… कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

के परिवार में होने वाले रीति रिवाजों भी में उपस्थित नही होते है जिसके कारण वृद्वा अवस्था में अपीलान्टगणो की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुॅची है एवं अपीलान्ट संख्या 4 अपने पीहर मे आने को भी तरसती रहती है एवं अपीलान्ट के पीहर मे भला पूरा परिवार होते हुए भी अपीलान्ट संख्या 4 को पीहर की तरफ से घोर उपेक्षा की जा रही है इसलिए अपीलान्टगण पीहर पक्ष से दुखी होकर श्रीमान जी की सेवा में अपील प्रस्तुत कर रहे है एवं अपीलान्ट संख्या 1,2,3 की सगी मॉ बसनी, धापू रामकूरी की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलान्ट संख्या 4 के साथ मे अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट संख्या 1,2,3 अपने मामा के यहॉ शादी की सूचना देने के लिये आये तो रेस्पो: संख्या 1 ने अपीलान्टणों की घोर उपेक्षा करते हुए गांव से निकाल दिया गया। इसपर अपीलान्टगणो ने पटवारी हल्का रामडी से नामा0 की नकल प्राप्त करके बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की जा रही है।

रेस्पो0 संख्या 2 स्वंय ने न्यायालय मे उपस्थित होकर दौराने बहस कथन किया कि विवादत आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 115 से संबंधित भूमि हमारी पैतृक भूमि है तथा विरासत के अनुसार अपीलान्टगणों का भी अधिकार होने से यदि उक्त नामा0 अपीलान्टगण के नाम तस्दीक किया जाता है तो मुझ रेस्पो0 संख्या 2 को कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 115 दिनांक 6.5.2003 को निर्णय दिनांक 24.10.2002 की पालना मे भरकर दर्ज फैसल किया गया है। किन्तु उक्त निर्णय किस न्यायालय का है स्पष्ट नही है? तथा तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा भी उक्त निर्णय की प्रति न्यायालय मे पेश नही की गयी है। किन्तु यदि अपीलान्टगण मृतक नेहन्या की सगी पुत्रिया है एवं मृतक गोरधन की सगी बहने है तथा गोरधन लाओलाद फोत हुआ है एवं यदि रेस्पो0 संख्या 1 के पास गोरधन का दत्तक पुत्र होने का विधिक दस्तावेज़ नही है तो मृतक गोरधन की विरासत में अपीलान्टगण का भी विधिक अधिकार बनता है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि दोनो पक्षो को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्टगण एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो को रिकार्ड पर लिया जाकर एवं निर्णय दिनांक 24.10.2002 का अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2025 को लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:37:25 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner